कायालय आधष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

Telephone No. 07774.297800 E.mail – deanmedicalcollegesurguja@gmail.com

क्रमांक / 2718 / शाचिम / स्था. / 2026 अम्बिकापुर, दिनांक 03 / 07 / 2026

Advertisement for Walk-In-Interview

---:000:---

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांकः एफ 3–53 / 2012 / नौ / 55–4 नया रायपुर, दिनॉक 27 / 05 / 2016 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर के विभिन्न विभागों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा शिक्षकों / चिकित्सकों / रेसीडेंट चिकित्सकों के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय के कॉलेज काउंसिल हॉल में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 तक **वॉक–इन–इन्टरव्यू** आयोजित किया जाएगा। उक्त दिवस शासकीय अवकाश होने पर उसके अगले कार्यदिवस को आयोजित की जावेगी।

उक्त पदों पर भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड के अनुसार अर्हता (**अधिकतम 70 वर्ष तक की आयु**) रखते हों, इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज **वॉक–इन–इन्टरव्यू** में स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकते हैं।

उक्त पद में आरक्षण नियम का पालन शासन के निर्देशानुसार करते हुए संविदा नियुक्ति की कार्यवाहीं की जा सकेगी।

रिक्त पदों की जानकारी एवं **वॉक–इन–इन्टरव्यू** में उपस्थित होने संबंधित आवश्यक जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट-**WWW.gmcambikapur.co.in** का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई–मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774–299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 2719-2723 / शाचिम / स्था. / 2026 अम्बिकापुर, दिनॉक 03 / 07 / 2026

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, चयन समिति, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, स्क्रूटनी समिति, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य, चयन समिति / स्क्रूटनी समिति.. राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं महाविद्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम						आपात कालीन चिकित्सा अधिकारी
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	सीनियर रेसीडेंट	जूनियर रेसीडेंट	प्रदर्शक / ट्यूटर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एनाटॉमी	—	1	—	—	—	—	—
2	फिजियोलॉजी	1	—	1	—	—	—	—
3	बायोकेमेस्ट्री	—	—	—	—	—	—	—
4	फार्माकोलॉजी	1	1	—	—	—	—	—
5	पैथोलॉजी	—	2	1	—	—	—	—
6	माइक्रोबायोलॉजी	1	1	—	—	—	—	—
7	फोरेंसिक मेडिसीन	1	—	—	—	—	—	—
8	कम्यूनिटी मेडिसीन	1	1	2	—	—	—	—
9	जनरल मेडिसीन	—	—		—	—	—	—
10	जनरल सर्जरी	—	—	1	4	—	—	—
11	शिशुरोग	1	—	—	1	—	—	—
12	टी0बी0एंड चेस्ट	1	—	1	1	—	—	—
13	चर्मरोग	—	1	1	—	—	—	—
14	मनोरोग	—	1	1	1	—	—	—
15	अस्थिरोग	—	—	1	—	—	—	—
16	ई0एन0टी0	—	1	—	—	—	—	—
17	नेत्ररोग	—	—	—	—	—	—	—
18	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	—	—	—	—	—	—	—
19	निश्चेतना	—	1	—	1	—	—	—
20	रेडियोडायग्नोसिस	1	1	1	1	—	—	—
21	रेडियोथेरेपी	1	1	1	1	—	—	—
22	दंतरोग	1	1	—	—	—	—	—
23	आपातकालीन चिकित्सा विभाग							1
	कुल योग—	**10**	**13**	**11**	**10**	**00**	**00**	**01**

वेतनः— छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटलनगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3—76 / 2024 / 55 दिनांक 11.09.2024 द्वारा निर्धारित समेकित संविदा वेतन देय होगी। प्राध्यापक—2,25,000 / —, सह प्राध्यापक—1,85,000 / —, सहायक प्राध्यापक—1,25,000 / —, सीनियर रेसीडेंट—95,000 / — , आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी—1,00,000 / —

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

संविदा भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

:000:

1. संस्था में रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/चिकित्सक वर्ग के पदों हेतु शैक्षणिक अर्हता, आवश्यक अनुभव एवं आयु–सीमाद भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश मापदण्ड अनुरूप ही मान्य होंगे।
2. संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कम, ज्यादा अथवा विलोपित किये जा सकेंगे, जिस पर उम्मीदवारों की कोई दावा स्वीकार नहीं होगी, मान्य नहीं होगी।
3. इच्छुक उम्मीदवार वॉक–इन–इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर (MBBS/BDS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) दस्तावेजों एवं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में पूर्व से नियुक्त उम्मीदवार अपने नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, संनिष्ठा प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूलप्रति के साठ 02 नवीननतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो के साठ संस्था के स्थापना कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। उपरोक्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी स्वयमेव अपात्र माने जायेंगे।
4. संविदा भर्ती हेतु निर्धारित कार्यदिवस में स्कूटनी का कार्य प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों पर कोई, विचार नहीं किया जाएगा।
5. शासकीय सेवा निवृत्त अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि वर्क रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
7. पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं अन्य विशेष वेतन प्रतिमाह है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टी.डी.एस. तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार अन्य कटौतियॉ किये जायेंगे।
8. संस्था हेतु स्वीकृत प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक का पद पदोन्नति पद है एवं सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक/ट्यूटर का पद सीधी भर्ती पद हैं, जिसके पदोन्नति/ सीधी भर्ती की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है, जिसकी प्रकिया पूर्ण कैलेण्डर वर्ष में प्रक्रियाधीन रहती है। अतः उक्त रिक्त पदों की पूर्ति शासन द्वारा पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से करने पर संविदा सेवा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अनुपालन में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह का वेतन देकर संविदा सेवा तत्काल समाप्त किया जावेगा। संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक अथवा शासन द्वारा इस पद पर तदर्थ/नियमित नियुक्ति होने तक के लिए अथवा आरक्षत संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिए किये जायेंगे।
9. संविदा नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय/राज्य स्तर के किसी न्यायालय में दायर याचिका अथवा भविष्य में दायर होने वाले याचिका निर्णय में पारित आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
10. अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट – gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई–मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774–299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)